

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 21/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

हाइब्रिड मोड के माध्यम से 21/11/2023 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
 2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
 3. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
 4. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय अतिरिक्त वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
 5. श्री शेखर सिंह, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
 6. श्री अमित वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
 7. श्रीमती सुमित ग़ोवर, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (v) पी.पी. सिंह, आईई, यूपीपीसीबी, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 07/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

यह बताया गया कि मेसर्स अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने आपत्ति जताई है कि सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित बैठक के कार्यवृत्त में उनके ग्राहकों के नाम का उल्लेख किया गया है और इन गोपनीय विवरणों को कार्यवृत्त से हटाने का अनुरोध किया गया है। बताया गया कि कार्यवृत्त वेबसाइट से हटा लिए गए हैं। अनुमोदन समिति ने उक्त कार्यवृत्त से ग्राहकों के विवरण हटाने का निर्देश दिया और आगे निर्देश दिया कि कार्यवृत्त में किसी भी जानकारी का उल्लेख न करें क्योंकि ये गोपनीय हैं। आगे बताया गया कि 07/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई अन्य संदर्भ या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 07/11/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेंद्र मलिक

(2) पत्रा ज्वैलरी - विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में प्रदर्शन की निगरानी और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत प्लॉट संख्या जेसी-2 और 3, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भवन सहित संपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण की अंतिम मंजूरी।

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स पत्रा ज्वैलरी ने अपने पत्र दिनांक 04/02/2022 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने और प्लॉट नंबर जेसी-2 और 3, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी संपत्ति और देनदारियों को मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। अनुमोदन समिति ने 02/03/2022 को आयोजित अपनी बैठक में विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने और प्लॉट नंबर जेसी-2 और 3, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी संपत्ति और देनदारियों को नियम 74ए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के संदर्भ में मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प को स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह (i) मेसर्स पत्रा ज्वैलरी द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन है; और (ii) लागू स्थानांतरण शुल्क का भुगतान। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 12/10/2023 और 01/11/2023 के माध्यम से निकास उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनकी अलग से जांच की जा रही है।

| | | | | | रु. लाखों में |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| वर्ष | निर्यात | विदेशी मुद्रा | व्यय एनएफई | उप-उत्पादों की डीटीए बिक्री | लंबित एफई |
| पहला ब्लॉक | | | | | |
| 2009-10 | 138.94 | 0.00 | 138.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-11 | 398.47 | 0.00 | 2398.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12 | 793.59 | 0.00 | 793.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-13 | 230.72 | 0.00 | 230.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-15 (01.04.14-02.07.14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 1561.72 | 0.00 | 1561.72 | 0.00 | 0.00 |
| दूसरा ब्लॉक | | | | | |
| 2014-2015 (03.07.14-31.03.15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

सुरेंद्र मलिक

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 2018-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तीसरा ब्लॉक | | | | | |
| 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 2023-24 | 39.09 | 0.00 | 39.09 | 62.57 | 0.00 |
| कुल | 39.09 | 0.00 | 39.09 | 64.11 | 0.00 |

2.3 मेसर्स पन्ना ज्वैलर्स के भागीदार श्री लोकेश जैन और मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री जैन ने बताया कि पहले कच्चे माल का भंडार शेष रहने के कारण उन्हें नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा-शुल्क से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाई थी। हालाँकि, अब नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा-शुल्क ने 24/08/2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दी है।

2.4 बताया गया कि इकाई का स्वीकृति पत्र 31/08/2023 तक वैध था।

2.5 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि किसी भी निर्यात आय को प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाया गया है।

2.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नियम 74ए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के तहत नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर जेसी-2 और 3 की संपत्ति और देनदारियों को मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प को हस्तांतरित करने के लिए मेसर्स पन्ना ज्वेलरी को अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन (i) मेसर्स पन्ना ज्वेलरी द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन है; और (ii) लागू स्थानांतरण शुल्क का भुगतान। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फ़ाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(3) कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

3.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

सुरेंद्र मलिक

| रु. लाखों में | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| वर्ष | निर्यात | विदेशी मुद्रा | व्यय एनएफई | उप-उत्पादों की डीटीए बिक्री | लंबित एफई |
| 2018-19 | 62705.28 | 7484.36 | 55220.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-20 | 75382.22 | 10477.23 | 65354.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-21 | 81690.10 | 14161.01 | 67529.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-22 | 85079.35 | 19873.68 | 65205.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-23 | 102571.99 | 31930.38 | 10641.61 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 407878.94 | 83926.66 | 323952.28 | 0.00 | 0.00 |

3.3 अनुमोदन समिति ने प्राप्त वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2018-19 से 2022-23 के बीच पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

3.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों और शेरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया:

(i) निदेशकों में बदलाव:

| निदेशकों की सूची (इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29/01/2021 के अनुसार) | निदेशकों की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा 28/10/2021 को सूचित किया गया) | वर्तमान निदेशकों की सूची (29/09/2023 तक) |
|---|--|---|
| 1. श्री जसविन्दर सिंह आहूजा 2. श्री नरेश चन्द्र चड्ढा 3. श्री अर्नोल्ड फोस्टर जेन्सेन 4. श्री डीन मसाटो ओज़ावा | 1. श्री जसविन्दर सिंह आहूजा 2. श्री नरेश चन्द्र चड्ढा 3. श्री अर्नोल्ड फोस्टर जेन्सेन 4. श्री डीन मसाटो ओज़ावा 5. श्री मुकुल माथुर (29/09/2021 को नियुक्त) | 1. श्री जसविन्दर सिंह आहूजा 2. श्री अर्नोल्ड फोस्टर जेन्सेन 3. श्री डीन मसाटो ओज़ावा 4. श्री मुकुल माथुर *श्री नरेश चंद्र चड्ढा 31/08/2023 से निदेशक नहीं रहे |

(ii) शेरधारिता स्वरूप में बदलाव:

सुरेंद्र मलिक

| शेयरधारक का नाम | 29/01/2021 को शेयरधारिता स्वरूप | | 29/09/2023 को वर्तमान शेयरधारिता | |
|---|---|-------------|----------------------------------|-------------|
| | शेयरों की संख्या | %शेयरधारिता | शेयरों की संख्या | %शेयरधारिता |
| 1. कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स इंक, यूएसए | 493391 | 85.93% | 574157 | 100% |
| 2. श्री जसविंदर सिंह आहूजा (कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स इंक, यूएसए की ओर से नामांकित) | 10 | 0.00% | 10 | 0.00% |
| 3. श्री नरेश चंदर चड्ढा (कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स इंक, यूएसए की ओर से नामांकित) | 10 | 0.00% | 10 | 0.00% |
| 4. गार्डेनिया एमजेएम II, मॉरीशस (एक साथी सहायक कंपनी) | 47847 | 8.33% | - | - |
| 5. टेन्सिलिका एलएलसी, यूएसए (एक साथी सहायक कंपनी) | 31247 | 5.44% | - | - |
| 6. डेनाली सॉफ्टवेयर एलएलसी, यूएसए (एक साथी सहायक कंपनी) | 1672 | 0.29% | - | - |
| 7. कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स लिमिटेड (यूके) (एक साथी सहायक कंपनी) | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
| शेयरधारिता में परिवर्तन | 14.06% (मौजूदा शेयरधारकों के भीतर) | | | |

3.5 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्देश दिया।

(4) पैट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों में बदलाव।

4.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 20/11/2023 के माध्यम से सूचित किया है कि वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके सभी निदेशक यात्रा कर रहे हैं और शहर से बाहर हैं।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान दिया:

| पिछले निदेशकों | वर्तमान निदेशकों |
|----------------------------|--|
| 1. श्री आदित्य झुनझुनवाला | 1. श्री आदित्य झुनझुनवाला |
| 2. श्रीमती डॉली झुनझुनवाला | 2. श्रीमती डॉली झुनझुनवाला |
| | 3. श्रीमती मनीषा टांटिया (15.03.2023 से नियुक्त) |

4.3 अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, स्थानांतरण शुल्क लगाने के संबंध में मामले की जांच करने के लिए ईएम विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

(5) स्मार्ट एनवायर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव।

5.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 20/11/2023 के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के दोनों निदेशक शहर से बाहर हैं और इसलिए, बैठक में भाग लेने में सक्षम नहीं हो सके।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया:

(i) निदेशकों में बदलाव:

| पिछले निदेशकों | वर्तमान निदेशकों |
|---|--|
| 1. श्री अर्जुन लाल चड्ढा (25/09/2023 से निधन) | 1. श्री अनिल कुमार चड्ढा (02/10/2013 से नियुक्त) |
| 2. श्रीमती सुदेश चड्ढा | 2. श्रीमती सुदेश चड्ढा |

(ii) शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव:

| शेयरधारक का नाम | पिछले शेयरधारिता स्वरूप | वर्तमान शेयरधारिता स्वरूप |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. श्री अर्जुन लाल चड्ढा | 60% | - |
| 2. श्रीमती सुदेश चड्ढा | 40% | 40% |
| 3. श्री अनिल कुमार चड्ढा | - | 60% |
| शेयरधारिता में बदलाव | | 60% |

5.3 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि निदेशक यानी श्री अर्जुन लाल चड्ढा के निधन के कारण कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव आया है और उनके शेयर अब उनके बेटे श्री अनिल कुमार चड्ढा को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अनुमोदन समिति ने ईएम विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को ऐसी असाधारण परिस्थितियों में शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसे नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है।

(6) नटिश एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशक और पंजीकृत कार्यालय का पता बदला गया।

तालिका कार्यसूची: न्यूटिश एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए अनुरोध।

6.1 अनुमोदन समिति के अध्यक्ष की अनुमति से, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए मेसर्स नटिश एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को निदेशक और पंजीकृत कार्यालय के पते में बदलाव के प्रस्ताव के साथ तालिका कार्यसूची के रूप में अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था।

सुरेंद्र मलिक

6.2 यह सूचित किया गया कि मेसर्स न्यूटिश एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को "(i) चांदी के महीन काम के साथ चांदी के आभूषण (71131141) (100 किलोग्राम प्रति वर्ष) (ii) चांदी के आभूषण जड़ित" रत्नों के साथ (71131145) (100 किलोग्राम प्रति वर्ष) (iii) चांदी के आभूषणों के अन्य सामग्री (71131149) (100 किलोग्राम प्रति वर्ष) (iv) चांदी के आभूषणों के हिस्से (71131190) (100 किलोग्राम प्रति वर्ष) (v) बिना जड़े सोने के आभूषण (71131911) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) (vi) मोतियों से सुसज्जित सोने के आभूषण सेट (71131912) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) (vii) हीरे से जड़ित सोने के आभूषण सेट (71131913, 71131914) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) (viii) सोने के आभूषण सेट अन्य कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के साथ (71131915) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) (ix) आभूषण प्लैटिनम, बिना जड़ित (71131921) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) (x) सोने के आभूषण के हिस्से (71131960) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) (xi) नकली आभूषण, कफ लिंक और स्टड (71171100) (150 किलोग्राम प्रति वर्ष) (xii) नकली आभूषण चूड़ियाँ (71171910) (150 किलोग्राम प्रति वर्ष) (xiii) नकली आभूषण - जर्मन चांदी आभूषण (71171920) (150 किलोग्राम प्रति वर्ष) (xiv) नकली आभूषण - अन्य (71171990) (150 किलोग्राम प्रति वर्ष) (xv) नकली मोती या नकली या कृत्रिम पत्थरों से जड़ित नकली आभूषण (71179010) (150 किलोग्राम प्रति वर्ष)" के निर्माण के लिए दिनांक 27/09/2023 को एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। इकाई ने अभी तक उत्पादन शुरू होने के बारे में सूचित नहीं किया है और इसका स्वीकृति पत्र 26/09/2024 तक वैध है।

6.3 इकाई ने निदेशकों और इकाई के शेरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित बदलाव के बारे में सूचित किया है:

(i) निदेशकों में बदलाव:

| पिछले निदेशकों | वर्तमान निदेशकों |
|------------------------------------|--|
| 1. श्री माधव शर्मा | 1. श्री माधव शर्मा |
| 2. श्री योगेश (11.08.2023 से निधन) | 2. श्रीमती प्रीति गोयल (07.08.2023 से नियुक्त) |

(iii) शेरधारिता स्वरूप में बदलाव:

| शेरधारक का नाम | पिछले शेरधारिता स्वरूप | वर्तमान शेरधारिता स्वरूप |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. श्री माधव शर्मा | 99% | 99% |
| 2. श्री योगेश | 1% | 1% |

6.4 इसके अलावा, इकाई ने पंजीकृत कार्यालय के पते को 'साई एन्क्लेव कॉलोनी, निकटवर्ती महाराजा टीवीएस शोरूम, भंगेल, गेझा रोड, गौतम बुद्ध नगर' से बदलकर 'दूसरी मंजिल, कार्यालय संख्या 201, ए-39, सेक्टर-65' नोएडा, जी.बी. नगर, यू.पी. - 201301" और इस संबंध में आईएनसी-22 की एक प्रति प्रस्तुत करने की भी जानकारी दी है।

6.5 आगे बताया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 20/11/2023 के माध्यम से कहा है कि उन्होंने एचएसएन कोड - 71131960 के तहत निर्मित माल का निर्यात किया है और 10 दिनों के भीतर स्वीकृति पत्र मात्रा हासिल कर ली है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्राप्त आदेशों के कारण वृद्धि की आवश्यकता थी

6.6 निदेशक श्रीमती प्रीति गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे केवल सोने के आभूषणों के पार्ट्स का निर्माण और निर्यात कर रहे हैं और

सुरेंद्र मलिक

अनुमोदित उत्पादन क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भी अनुरोध किया।

6.7 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने स्वीकृति पत्र जारी करने से पहले पंजीकृत कार्यालय बदल दिया है। इसके अलावा, इकाई ने पंजीकृत कार्यालय को "206, दूसरी मंजिल, एमएसएक्स टॉवर 2, अल्फा प्रथम वाणिज्यिक बेल्ट, ग्रेटर नोएडा" से "साई एन्क्लेव कॉलोनी, निकटवर्ती महाराजा टीवीएस शोरूम, भंगेल, गेझा रोड गौतम बुद्ध नगर" में बदलने के लिए आईएनसी-22 जमा नहीं किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि इकाई ने उत्पादन शुरू होने की तारीख के बारे में सूचित नहीं किया है, जिसे ऐसे शुरू होने के एक महीने के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

6.8 अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

(i) पंजीकृत कार्यालय का पता "206, द्वितीय तल, एमएसएक्स टावर-2, अल्फा 1 सेंट कमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा-201301" से "साई एन्क्लेव कॉलोनी, महाराजा टीवीएस शोरूम के पास, भंगेल, गेझा नोएडा, जी.बी. नगर, यू.पी. - 201304" में परिवर्तन के संबंध में आईएनसी-22 की प्रति।

(ii) स्पष्टीकरण कि उन्होंने पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को समय पर क्यों नहीं दी।

(iii) विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित निदेशकों में बदलाव से पहले और बाद में कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप का सही विवरण।

(iv) अधिकृत परिचालन की सही अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता।

(v) निर्धारित प्रारूप में निर्यात, विदेशी मुद्रा व्यय, निवल विदेशी मुद्रा आय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा व्यय और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल आदि की आवश्यकता के संशोधित अनुमान।

(vi) विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑनलाइन प्रणाली पर डीसीपी के ऑनलाइन आवेदन और पहले मूल्यांकन किए गए लदान बिल की प्रति के साथ विधिवत समर्थित उत्पादन शुरू होने की तारीख की सूचना के लिए अनुरोध।

6.9 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अनुमानों में संशोधन के साथ-साथ निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए इकाई के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन उपरोक्त पैरा 6.8 में उल्लिखित दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई के उत्तर की जांच करने और फाइल पर अंतिम मंजूरी देने के लिए विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को और अधिक सशक्त बना दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त